

कुलीगाड़ा-हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक - 08.00 किमी०

(प्रस्ताव संख्या 8986/2014)।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	इस कार्यालय के पत्रांक 2225/12-1 दिनांक 31.03.2015 से सूचित आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्रांक 6168/12-1 दिनांक 21.04.2015 द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं अभिलेखों के आलोक में सहमत। इस कार्यालय व प्रभागीय वनाधिकारी/याचक विभाग के उक्त पत्र, मय संलग्नकों के, संलग्न है (संलग्नक- 1 से 5)।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 व 10-20 व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक:- 29.04.2015

स्थान:- अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

E-Mail : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ (05962) 231099 & Fax (05962) 230397

पत्रांक 2225/ 12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 31.03.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:-

आपके द्वारा जनपद- अल्मोड़ा अन्तर्गत कुनीगाड़-हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार का ऑन-लाइन प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 8986/2014)।

महोदय

उक्त मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण का ऑन-लाइन प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी। कृपया कमियों का निराकरण कर तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि इसे नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

1. आपके द्वारा प्रेषित ऑन-लाइन प्रस्ताव की हार्ड कॉपी का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली पंचायती भूमि में सम्बन्धित पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। जिसे याचक विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

2. प्रपत्र पार्ट-II का अवलोकन करने पर बिन्दु संख्या 16 में Recommendation letter (प्रपत्र) संलग्न नहीं है।

भवदीय,

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 6168 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक, 21-04-2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

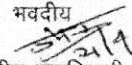
विषय:- कुनीगाडा-हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार (प्रस्ताव सं० 8986/2014)

संदर्भ:- आपकी पत्र सं० 2225/12-1 दिनांक 31.03.2015

महोदय,

संदर्भित पत्र के बिन्दु सं० 1 के कम में वन पंचायत कमेटी की अनापत्ति प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर ऑन लाइन प्रेषित की जा रही है तथा बिन्दु सं० 2 के कम में प्रपत्र भाग-2 पूर्ण कर पुनः ऑन लाइन प्रेषित किया जा रहा है। कृपया प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

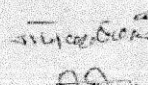
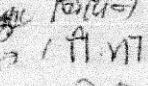
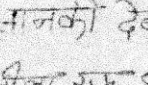
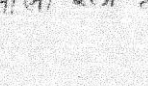
संलग्न :- यथोपरि।

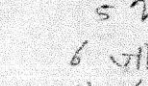
भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 12/04/2015 को वन पंचायत समिति, अतौरिया
 कि आम बैठक में सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया
 गया कि शासन द्वारा स्वीकृत कुनिगाड, दिखवी, माधार, मोहर,
 आदी का सम्पूर्ण क्षेत्र जिसे बिन्दु मोटर मार्ग जो
 इस वन पंचायत से होकर गुजर रही है उसमें वन पंचायत
 समिति, अतौरिया को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है
 जिसमें समिति के निम्न सदस्यो द्वारा यह प्रतिभाग किया
 गया।

वन पंचायत सदस्य (पंच) अतौरिया 12/04/2015

- (1)  श्री ज्योती देवी w/o स्व. रामोदाय देवी
- 2  श्री रामनारायण सिंह स्व. श्री शंभु राम
- 3  श्री रामनारायण सिंह स्व. श्री मुन्दरमणी देवी
- 4  श्री रामनारायण सिंह स्व. श्री गोकुलचन्द देवी
- 5  श्री रामनारायण सिंह स्व. श्री केदारदास देवी
- 6  श्री रामनारायण सिंह स्व. श्री लालराम सभा बैठक

- (1)  श्री ज्योती देवी
- 2  श्री रामनारायण सिंह
- 3  श्री रामनारायण सिंह
- 4  श्री रामनारायण सिंह
- 5  श्री रामनारायण सिंह
- 6  श्री रामनारायण सिंह
- 7  श्री रामनारायण सिंह

12/04/2015

वन पंचायत समिति, अतौरिया

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति कुनीगाड़, हिरुली काजूर, जेठमज का रामपुर रोड, चित्तूर जिला तक विस्तार
- (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड
- (ii) जिला चिलकोट
- (iii) जिला वन प्रभाग चिलकोट वन प्रभाग चिलकोट
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 1.350 हे.ए.
17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिस्थिति: वन पैचमन अधिनियम
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: चीड़ वृक्ष,
- (i) वन का प्रकार डेन्स फॉरेस्ट
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व 4
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना संलग्न है
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नुरखा नहीं
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी भूक्षरण की सम्भावना
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: 1.50 K.M. नहीं
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता: निम्न नहीं
- (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा: अल्पवृक्ष वन्यजीव नहीं
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अन्तर्वास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपायों किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका-टिप्पणियों उपायों की जाए) नहीं
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपायों की जाए) नहीं
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपायों की जाए) नहीं
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संरक्षक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपायों किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं
23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें: विस्तार करने के लिये अनुकूल है
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। अपरिहार्य क्षेत्र वन्यजीव वन भूमि है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। ^{हाँ}

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्फलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही ^{नहीं}

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। ^{द्वितीय संशोधन वन अधिनियम}

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। ^{द्वितीय संशोधन वन अधिनियम}

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामान्य वन सीमाएं संलग्न हैं। ^{हाँ}

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : ^{संलग्न है}

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

^{स्वीकृति संसृति की जाती है}

स्थान: ^{अजमेर}

व. तारीख: 14-3-2015

हस्ताक्षर नाम शम्भूजी मुद्रा
प्रशासक वन विभाग,
अजमेर